

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2/भर्ती 2018/ /2019/

दिनांक

1. अनिता कुमारी पत्री श्री सतरूप सिंह
आईडी सख्या-3225335
2. प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री राधे श्याम
आईडी सख्या-3241651
3. युनूस अली पुत्र श्री अब्दुल अजीज
आईडी सख्या-3262827
4. अनिल कुमार भारद्वाज
आईडी सख्या-3241468
5. मोहम्मद ईस्माइल नकवी पुत्र श्री सैयद ईब्राहिम अली
आईडी सख्या- 3265507
6. विकास कुमार शर्मा पुत्र श्री शिव लाहरी शर्मा
आईडी सख्या - 3263357
7. प्रिती जादौन पुत्री श्री गोविन्द सिंह जादौन
आईडी सख्या - 3245946

विषय नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती 2018 के संदर्भ में माननीय न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका सख्या 11566/2019, 12109/2019 एवं 12025/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिकाओं को कनेक्टेड करते हुये दिनांक 24/07/2019 को निर्णय पारित कर विज्ञापित दिनांक 30/05/2018 के संदर्भ में राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्य में एनएचएम योजना में संधिता के आधार पर नर्स द्वितीय/स्टाफ नर्स के पद पर कार्य करने के अनुभव का लाभ दिये जाने हेतु निर्देशित किया है एवं माननीय न्यायालय के बिना इजाजत के परिणाम जारी नहीं करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं, के क्रम में आपको नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती-2018 के संदर्भ में दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी कार्यक्रम में आपको दिनांक 29/08/2019 को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर (MNIT) में निदेशालय द्वारा दिनांक 17/06/2019 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपस्थित होना निर्धारित किया गया है।

अतः आप दस्तावेज सत्यापन हेतु संबंधित मूल दस्तावेजों के साथ दिनांक 29/08/2019 को प्रातः 11:00 बजे मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर (MNIT) में उपस्थित होंगे।

शेष नियम व शर्तें यथावत लागू रहेगी।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

दिनांक

21/8/19

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2/भर्ती 2018/ /2019/ 473

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।

2. श्री सजय राजपाल, समन्वयक, एमएनआईटी, जयपुर को उक्त संवध में हुई वार्ता के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

3. याचिकाकर्ताओं को रिट में दिये पते पर।

4. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर